

14/12/2023

धरावली पेश हुई। वकील बादी हाजिर
नहीं आये हैं। धरावली नलकी में लॉन्ग
है, नलकी पूर्ण नहीं करवायी जा सकी है।
आज न्यायालय में वकील बादी को
तीन-तीन आवेजें लगायीं जाने पर
भी हाजिर नहीं आये पर धरावली
अंतर्गत 0-9, 2-3 CPC के तहत
एतद्वारा खारिज की जाती है। धरावली
कौसल कुमार लेकर बाद तकमील
दफ्तार हो। निर्णय सुने न्यायालय
में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व
न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

KMC

उपरोक्त अधिकारी
सांभर लेक

